न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या :55/2018

रामचन्द्र पुत्र गोरधन जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां .....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

01. सुन्दरलाल पुत्र गोरधन जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल
02. रामकरण पुत्र गोरधन जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल हाल निवास एन.टी. पी.सी. चौराहा के पास अन्ता तहसील अन्ता
03. बिरधीलाल पुत्र गोरधन जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल
04. द्वारकाबाई पुत्री गोरधन पत्नी कन्हैयालाल जाति माली निवासी थामखेडा तहसील अन्ता
05. पुष्पाबाई पुत्री गोरधन जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल
06. सुमित्राबाई पुत्री गोरधन जाति माली निवासी रायथल तहसील मांगरोल
07. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री कृष्ण कुमार सोनी

वकील अप्रार्थीगण : श्री हरिओम यादव

दायरा दिनांक: 31.10.2018 निर्णय दिनांक : 23.03.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 ता 6 के शामलाती खाते की आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में खाता संख्या 128 खसरा नं. 1227 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 1230 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 1257 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 1263 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 1316 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 1358 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1363 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 2705 रकबा 0.68 है0, खसरा नं. 2707 रकबा 0.75 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.22 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा अप्रार्थी कम 1 ता 6 के साथ बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी को वाद में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। यह कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 ता 6 को उनके पिता से विरासत में प्राप्त हुयी है जिस पर पारिवारिक विभाजन से प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। यह कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 ता 6 के मध्य शामलाती खाते में दर्ज होने से उनके मध्य कर्ता पिलाई व रास्ते व मेड बन्दी को लेकर आये दिन विवाद होते रहते है तथा आराजी का विधिवत विभाजन नही होने के कारण प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी में भू सुधार भी नही करवा पा रहा है इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय से विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करवाले जिसकी प्रार्थी नालिस पेश करता है। यह कि उक्त आराजी शामलाती खाते में दर्ज है किन्तु अभी आराजी का विधिवत विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी कम 2 उक्त आराजी में से अपने हिस्से को बिना विधिवत

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

विभाजन रहन बेचान करने को तैयार है तथा वह आये दिन प्रार्थी को आराजी रहन बेचान करने व आराजी में दखलान्दाजी करने की धमकी देता है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यो पर आधारित है क्योकि प्रार्थी उक्त आराजी का सहखातेदार है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है क्योकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है तथा पारिवारिक मौखिक विभाजन अनुसार सभी अपने अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहे है। किन्तु प्रतिवादीगण बिना विधिवत विभाजन के आराजी को रहन बेचान करने पर आमादा है तथा अप्रार्थीगण बिना विधिवत विभाजन आराजी को बेचान करने में सफल हो गये तो प्रार्थी अपने कब्जे की आराजी से महरूम होना पडेगा तथा उनका वाद बेकार जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमावे कि विवादीत आराजी को बिना विधिवत विभाजन अप्रार्थीगण रहन बेचान नही करे तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त करने देवे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 31.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण कम 1 ता 4 की ओर से वकालतनामा श्री हरिओम यादव द्वारा पेश किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के प्रर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अनुपस्थित रहे ।

अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से एक पक्षीय बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकार ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. प्रथम दृष्टया मामला : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजियात में विधिवत विभाजन होने तक किसी भी प्रकार से रहन–बेचान करने से रोकने एवं शांति पूर्वक काबिज काश्त किये जाने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थीगण विवादित आराजियात में रिकोर्डेड सह खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजियात को पैतृक संपत्ति होने के संबंध में अस्वीकार्यता व्यक्त नही की गई है। हालांकि अप्रार्थीगण विवादित आराजियात मे रिकोर्डेड खातेदार है, परंतु प्रार्थी के विवदित आराजियात (पैतृक संपत्ति) में हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी के विवादित आराजियात में विभाजन के संबंध में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद मे तय की जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के रहन बेचान करने पर न केवल प्रार्थी को पैतृक संपत्ति से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। प्रार्थी के पैतृक संपत्ति में हक–हिस्से/अधिकारों एवं अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
2. अपूर्णनीय क्षति : चूंकि उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी होने के कारण यदि विवादित आराजियात का रहन–बेचान किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

3. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, एक पक्षीय बहस वकील एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण कम 1 ता 6 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी कम 1 ता 6 उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 128 कुल किता 9 कुल रकबा 2.22 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में विधिवत विभाजन होने तक रहन बेचान न करे, ना ही अन्य प्रकार से स्थानांतरित करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल, जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner